सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 20214 / 416 दर्ज तिथिः—09.09.2024

1. पारू पत्नी काला
   जाति रबारी निवासी सोनगिरी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

...........प्रार्थीगण

बनाम

1. उदा पुत्र चिमना
2. जीणी पत्नी प्रहलादराम
3. मथरो पत्नी गजा
4. सवा पुत्र गजा
   जाति रबारी निवासी सोनगिरी की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
5. तहसीलदार गुड़ामालानी

..........अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री जगदीश कड़वासरा
अप्रार्थीगणः—श्री जगदीश विश्नोई

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—10.03.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन कियाः—
   - कि खातेदारी आराजी खसरा संख्या 247 / 3.5046 है0 मौजा सोनगिरी की ढाणी पटवार मण्डल भेडाणा तहसील गुडामालानी प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है।
   - कि मूल खसरा संख्या 247 / 33.14 बीघा के खातेदार पारू पत्नी कालाराम व उदा पुत्र चिमना के आवसी सहमति से विभाजन अनुसार नामांतरकरण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:45:05 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 358 / 23.10.2020 मौजा सोनगिरी की ढाणी पारित किया जाकर नवसृजित खसरा संख्या 247 / 21.13 बीघा आवंटित किया गया।

- कि उक्त नामांतरकरण संख्या 358 की पुश्त पर अंकित नक्शा किया जाकर नक्शा दर्शित किया जाना था तथा उसी अनुसार लट्ठा ट्रेस में तरमीम की जानी थी। परंतु नामांतरकरण संख्या 358 की पुश्त पर नक्शा अंकित नहीं किया गया और लट्ठा ट्रेस में विभाजित खसरों की तरमीम कर दी गई। उक्त तरमीम प्रार्थी के कब्जा काश्त व राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रकबा 21.13 बीघा से कम कर दी गई। जिससे मौका व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई।

2. असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे के विपरीत खसरा संख्या 247 की तरमीम को दुरूस्त किया जाकर की ऑनलाइन तरमीम मौके पर कब्जे के अनुसार दुरूस्त की जावे। अतः प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 के अतिरिक्त शेष अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर सीधे बहस कर निम्न प्रकार निवेदन किया गयाः–
   - कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजी मूल खसरा संख्या 247 से विभक्त होकर नवीन खसरा संख्या 247 व 247 / 5 की तरमीम मौका कब्जा–काश्त अनुसार सही दर्ज की हुई है।
   - कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी की तरमीम नामांतरकरण संख्या 358 के आधार पर प्रार्थीगण की सहमति से दर्ज की गई है। वर्तमान में प्रार्थीगण की नियत में खोट आने से तथा अप्रार्थीगण को महज परेशान करने की नियत से उक्त तरमीम दुरूस्ती का आवेदन पेश किया होने से उक्त आवेदन पत्र काबिल–ए–खारिज है।

4. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 2487 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–ए के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र के जवाब के तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट–अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:45:05 IST
Reason: SelfAttested

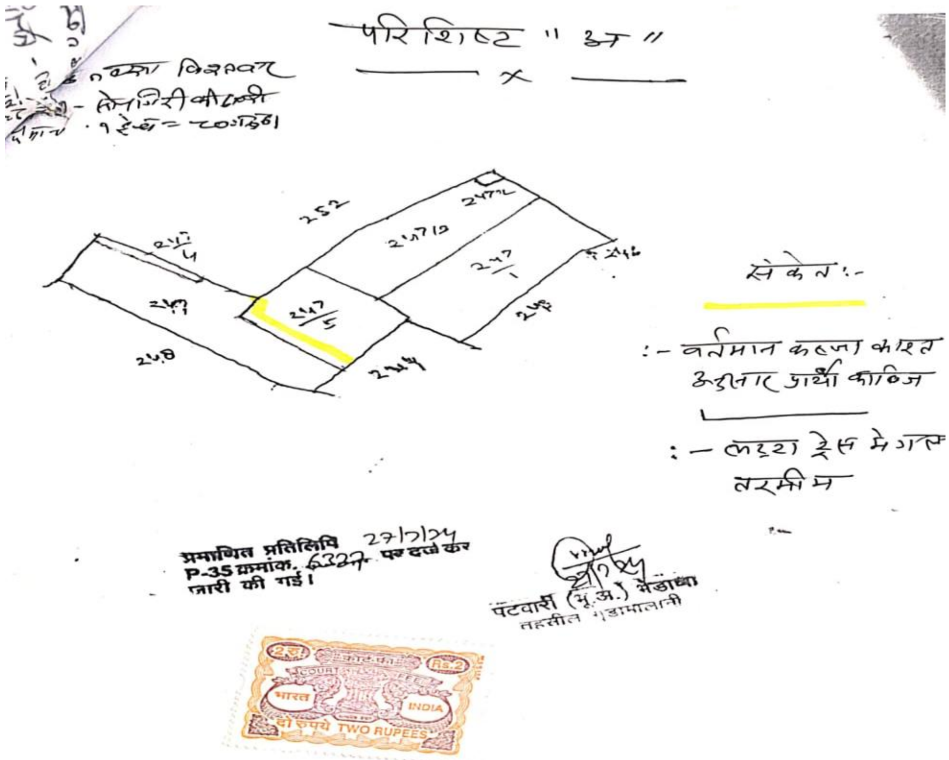

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक/भू.अ./2024/2487 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2487 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:—

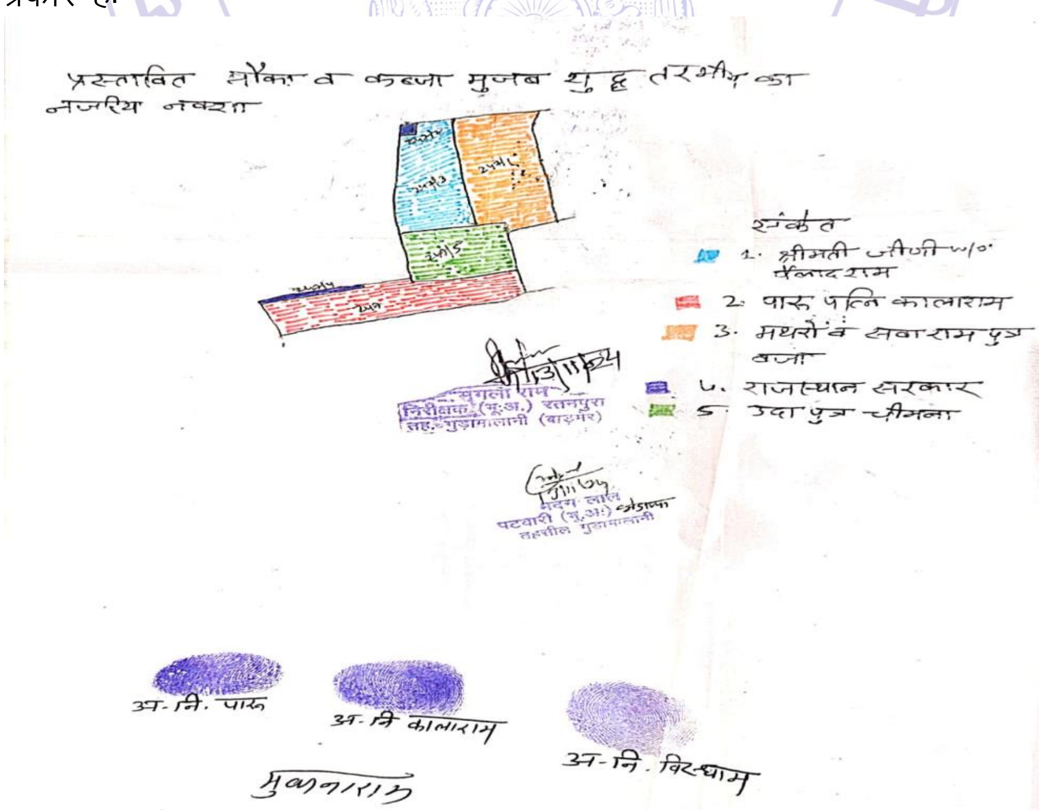

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:45:05 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2487 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

- उक्त आराजी खसरा संख्या 247 मूल खसरे से बने हाल खसरों की तरमीमें सहकाश्तकारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन आदेश से नामांतरकरण की पुश्त पर अंकित तरमीम के अनुसार आंशिक भिन्न अंकित की गई है।
- उक्त आराजी खसरा संख्या 247 व अन्य नवीन बने हाल खसरों की तरमीमें सहकाश्तकारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन प्रस्ताव आदेश से नामांतरकरण की पुश्त पर अंकित तरमीम जामबंदी में अंकित कुल रकबे से अधिक व कम नक्शा लट्ठा ट्रेस व भू—नक्शा पोर्टल में अंकित गलत है। अतः मौका व कब्जा काश्त एवं रहवासी ढाणियों को शामिल करते हुए जमाबंदी में अंकित रकबे अनुसार तरमीमों को दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित है। संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाए बरंग अनुसार पूर्व में अंकित तरमीम शून्य कर शुद्ध किया जाना उचित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2487 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 247 तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 247/5 पडोस में अवस्थित है तथा सहमति विभाजन से स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 358 द्वारा पृथक खसरे सृजित हुए हैं। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु कब्जे के मुताबिक तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2487 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु कब्जे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2024/2487 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2024/2487 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:45:05 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 10.03.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.23 20:45:05 IST
Reason: SelfAttested